न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः– 269 / 2021 — दर्ज दिनांक 28.09.2021

जी सी0एम0एस0 :–2021 / 744 — निर्णय दिनांक 23.01.2023

1. रणधीर सिंह पुत्र लादूराम उम्र 35 वर्ष
2. तीजू देवी पत्नी लादूराम उम्र 85 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण धमारो तहसील उदयपुरवाटी

प्रार्थीगण....

बनाम

1. कुरडाराम पुत्र नामनारायण
2. मोहनसिंह पुत्र रामनारायण
3. बिशनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह

जाति जाट समस्त निवासीगण धमोरा तहसील उदयपुरवाटी।

4. कुन्दन कंवर पत्नी नत्थूसिंह
5. चन्दनसिंह पुत्र जीवणसिंह
6. तेजसिंह पुत्र समुन्द्रसिंह
7. प्रकाश कंवर पुत्री समुन्द्रसिंह
8. बलवेन्द्र सिह पुत्र जीवणसिंह
9. भीमसिंह पुत्र समुन्द्रसिंह
10. मुन्नी कंवर पत्नी माधोसिंह
11. माधोसिंह पुत्र नत्थुसिंह
12. विजयसिंह पुत्र नत्थूसिंह
13. सायर कंवर पुत्री समुन्द्रसिंह

जाति राजपूत समस्त निवासीगण धमोरा तहसील उदयपुरवाटी।

14. हीरालाल पुत्र श्योनाथ जाति जाट
15. मानसिंह पुत्र जीवण सिंह (फौत)
    - 15 / 1. प्रमोद कंवर पत्नी मानसिंह
    - 15 / 2. मेघनाकंवर पुत्री मानसिंह
    - 15 / 3. हर्षिता कंवर पुत्री मानसिह
    - 15 / 4.कणकपालसिंहपुत्र मानसिंह

जाति राजपूत समस्त निवासीगण धमोरा तहसील उदयपुरवाटी।

16. स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा ए0 डी0 बी0 उदयपुरवाटी जरिये शाखा प्रबन्धक।
17. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धमोरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
18. तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अप्रार्थीगण....

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:46:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) रा0 का0 अधिनियम

निर्णय दिनांक 23.01.2023

प्रार्थीगण ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम धमोरा पटवार हल्का धमोरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा न0 488 रकबा 1.1620 है0 भूमि अवस्थित जिसका प्रार्थीगण एक मात्र खातेदार काश्तकार है। जिसमे प्रार्थीगण अपनी भूमि की सिंचाई के लिये चाह बना रखा हे। प्रार्थीगण का मुख्य पैशा काश्त है। तथा प्रार्थी काश्त की उपज से ही अपने परिवार का पालन पोषण करते है। ग्राक धमोरा के भूमि खसरा न0 480 रकबा 0.51 है0 भूमि अवस्थित है जिसका अप्रार्थी संख्या 1 व 2 खातेदार काश्तकार है। ग्राम धमोरा के भूमि खसरा न0 1722/480 रकबा 0.36 है0 भूमि अवस्थित है जिसका अप्रार्थी संख्या 3 खातेदार काश्तकार है ग्राम धमोरा के भूमि खसरा न0 484 रकबा 1.74 है0, खसरा न0 1507/488 रकबा 0.06 है0 भूमि अवस्थित जिसका अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 15 खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि खसरा न0 488 में आवागमन के लिए पगडण्डी धमोरा से जाखडो का मोड जाने वाली डामर सडक से फटकर अप्राथी संख्या 1 लगायत 3 की भूमि खसरा न0 480 व 1722/480 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे तथा प्रार्थी 4 लगायत15 की भूमि खसरा न0 484 व 1507/488 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे से होती हुई प्रार्थीगण की काश्त की भूमि खसरा न0 488 तक जाती हे जो प्रार्थना पत्र में संलग्न नजरी नक्शे में ए बी सी डी ई बिन्दू दर्शायी गयी है प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने जाने के लिये इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 की भूमि से करीबन 200 मीटर लम्बा तथा 4 मीटर चौडा रास्ते की आवश्यकता है जिसके लिए प्रार्थिगण ने अप्रार्थी सख्या 1 लगायत 15 से कई बार मौखिक निवेदन किया कि उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे इसके बदले रास्ते में समायोजित होने वाी भूमि के बदले कीमत अदा करने को कहा परन्तु अप्रार्थीगण ने इनकार कर दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र सेवामे पेश करना आवश्यक हुआ ।

अन्त में निवेदन किया है कि प्रार्थीगण को ग्राम धमोरा तहसील उदयपुवाटी में भूमि खसरा न0 488 रकबा 1.620 है0 में आने जोने के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 की भूमि खसरा न0 480 रकबा 0.51 है0, खसरा न0 1722/480 रकबा 0.36 है0, खसरा न0 484 रकबा 1.74 है0, खसरा न0 1507/488 रकबा 0.06 है0 में से 200 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा रास्ता प्रार्थना पत्र में संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश तहसीलदार को फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनाविदक की त[illegible] जबाबदेही की गई। अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 18 बावजूद तामिल ह[illegible]क्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । अप्रार्थी संख्या 1 लगायत [illegible] निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा [illegible] खसरा न0 1755/488 है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:46:53 IST
Reason: SelfAttested

स्ता राजकीय दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार खसरा न0 488 में कटाण शुद्वा रास्ता मौजूद है तथा इसी रास्ते से प्रार्थीगण खसरा न0 488 में आवागमन करते हे। प्रार्थीगण उक्त रास्ता होने के बावजूद सुविधा युक्त रास्ता कायम करवाना चाहते है जो धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार नही दिया जा सकता है अन्त में जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

प्रकरण में तहसीलदार उदयपुरवाटी से मौका जाचं रिर्पोट दिनांक 04.04.2022 प्राप्त।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम धमोरा पटवार हल्का धमोरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा न0 488 रकबा 1.1620 है0 भूमि अवस्थित जिसका प्रार्थीगण एक मात्र खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि आवागमन के लिये अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 की भूमि खसरा न0 480 रकबा 0.51 है0, खसरा न0 1722/480 रकबा 0.36 है0, खसरा न0 484 रकबा 1.74 है0, खसरा न0 1507/488 रकबा 0.06 है0 में से 4 मीटर चौडा रास्ता राजस्व रिकार्ड अमल दरामद करने का आदेश तहसीलदार को फरमाया जाना प्रार्थनीय हैं बहस में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जबाब में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा न0 488 के पश्चिम में खसरा न0 1755/488 है जो रास्ता राजकीय दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार खसरा न0 488 में कटाण शुद्वा रास्ता मौजूद है तथा इसी रास्ते से प्रार्थीगण खसरा न0 488 में आवागमन करते हे। प्रार्थीगण उक्त रास्ता होने के बावजूद सुविधा युक्त रास्ता कायम करवाना चाहते है जो धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार नही दिया जा सकता है अत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 क खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज, का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम धमोरा पटवार हल्का धमोरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा न0 488 रकबा 1.1620 है0 भूमि अवस्थित जिसका प्रार्थीगण एक मात्र खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण स्वयं की भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 की खातेदारी की भूमि में से रास्ता चाहा है। लेकिन प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि 488 के पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे राजकीय रास्ता दर्ज रिकार्ड है ।जो तहसीलदार की मौका जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा न0 488 रकबा 1.1620 है0 में मे आवागमन हेतु पहले से ही राजकीय रास्ता होने व उक्त विवेचना से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 क रा0 का0 अधि0 खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:46:53 IST
Reason: SelfAttested